संख्या-58/2021/694/52-1-2021-28(एम0एस0डी0पी0)/11

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2021

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह-माह नवम्बर, 2020 से माह फरवरी 2021 (कुल 04 माह) तक के पारिश्रमिक/मानदेय की वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित धनराशि सहित अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय व्यय हेतु आवंटित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/58/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 21.01.2021 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-34/2021/जी0आई0-08/52-1-2021-28(एम0एस0डी0पी0)/11 दिनांक 03.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम(पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर आई0टी0सेल के अन्तर्गत तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के माह मार्च, 2020 से माह फरवरी 2021 (कुल 12 माह) तक के पारिश्रमिक/मानदेय के सापेक्ष माह मार्च, 2020 से माह अक्टूबर 2020 (कुल 08 माह) तक के पारिश्रमिक/मानदेय की केन्द्रांश रू0 168.1006 लाख अवमुक्त की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम तैनात/कार्यरत 98 कम्प्यूटर ऑपरेटर के (पारिश्रमिक/मानदेय + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा सर्विस चार्ज) की भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 251.81353 लाख में से 08 माह की धनराशि रू0 168.1006 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 83,71,293/- तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित धनराशि रू0 16,950/- (रूपये सोलह हजार नौ सौ पचास मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 83,88,243/- (रूपये तिरासी लाख अटठासी हजार दौ सौ तिरालिस मात्र) का चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-48 के **सम्बन्धित लेखा शीर्षक-**2235-0103-16 **में प्राविधानित बजट रू0 210.00 लाख में से धनराशि रू0** 83.88243/- **लाख (रूपये तिरासी लाख अटठासी हजार दौ सौ तिरालिस मात्र)** अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(के0-100/रा0-00) (रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	डेटा इंट्री आपरेटरों की संख्या	भा0स0 द्वारा स्वीकृत प्रति माह कुल मानदेय की धनराशि	भा0स0 द्वारा स्वीकृत 12 माह हेतु कुल मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	प्रति माह मानदेय की धनराशि	2020-21 में भा0स0 द्वारा 12 माह हेतु अवमुक्त मानदेय की धनराशि (केन्द्रांश)	पूर्व में निर्गत धनराशि को घटाते हुए अवशेष पारिश्रमिक/ मानदेय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित मानदेय की कुल धनराशि (केन्द्रांश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विभिन्न जनपद /स्थान	98	0.21420	251.89920	0.18	251.81353	83.71293	0.16950	83.88243
	योग	98	**0.21420**	**251.89920**	**0.18**	**251.81353**	**83.71293**	**0.16950**	**83.88243**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत योजना से संबधित भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-दिनांक 22.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4)- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7)- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मान के संबंध मे कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(8)- अवमुक्त धनराशि का व्यय केवल योजनान्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक पर ही किया जायेगा तथा भुगतान सेवा प्रदाता एजेन्सी को ही किया जायेगा। कार्मिकों की संख्या व उनके कार्य के औचित्य का सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही धनराशि निर्गत की जायेगी ।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आई0टी0सेल की स्थापना (के0-100/रा0-00)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के **अशासकीय संख्या-ई-4-410/दस-2021, दिनांक 20.07.2021** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-694(1)/52-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त-ई-4 अनुभाग/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।